No. P-13013/6/2020-DD-3
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities
******

Pt. DeendayalAntyodayaBhavan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated 01.09.20

To,

The Principal Secretaries/Administrators of
Social Welfare Department of States/UTs

Subject: Schemes of Govt. of India namely: PradhaMantriGaribKalyan Ann Yojna (PMGKAY), Atmanirbhar Bharat, One Nation-One Ration Card run by Ministry for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India - reg.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of the D.O. letter no. 188/MOCA, F&PD/VIP/2020 dated 22.05.2020 received from Shri Ram Bilas Paswan, Hon'ble Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India (copy enclosed) on the subject mentioned above and to request that wide publicity of the above schemes namely PradhaMantriGaribKalyan Ann Yojna (PMGKAY); Atmanirbhar Bharat and; One Nation-One Ration Card may be given in your State/UT so that all eligible Divyangjan get the benefit under these schemes.

Encl: As above

Yours faithfully,

(K.V.S. Rao)
Director
Tel: 011-24369054

Dy. No. 5419 | 46802 FTS SECY/DEPwDs
Date 16.6.2020

E-Office 46802 USD/M(SJ&E)
Dated 01/06/2020

3387/R/VIP/JS(PS)
19/08/2020

आदरणीय श्री राम विलास पासवान जी,

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र जी मोदी के दूरगामी नेतृत्व में देश में व्याप्त कोविड-19 वैश्विक महामारी (कोराना वायरस संक्रमण) के उद्देश्य से पात्र लाभार्थियों एवं प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए संचालित, **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना**, **आत्म निर्भर भारत योजना** तथा **एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड** आदि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं ।

आपका पत्र अग्रेषित कार्यवाही हेतु सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेज दिया गया है । सादर,

आपका,

(थावरचंद गेहलोत)

श्री राम विलास पासवान
उपभोक्ता मामले, खाद्ध और सार्वजनिक वितरण मंत्री,
भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि: मूलपत्र सहित सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पंकज कुमार मेहता)
विशेष कार्य अधिकारी

JS (PS) - Away
Dir (R)
Copy to DDG, JS (TR)

D.O.No. 1881/MO CA, F&PD/VIP/2020

राम विलास पासवान
RAM VILAS PASWAN

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण
मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110 001
MINISTER
FOR CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110 001

PS
26.5.20

22 MAY 2020

प्रिय श्री धारव चंद जी,

आपको विदित है कि इस समय हमारा देश कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्षरत है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में व्याप्त इस महामारी से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। इसी क्रम में आपको मैं अपने मंत्रालय द्वारा इस संक्रमण से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

मेरे मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत देश भर के 80.09 करोड़ लाभुकों हेतु अप्रैल से जून, 2020 तक तीन माह के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं/चावल एवं प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम दाल का मुफ्त आवंटन किया गया है। इस योजना पर आने वाली 51 हजार करोड़ रुपए की पूरी लागत को केन्द्र सरकार वहन कर रही है। तीन माह के लिए आवश्यक 120 लाख मीट्रिक टन अनाज में से सभी राज्यों को अप्रैल माह में 35.67 LMT और मई माह में आज तक 22.76 LMT का वितरण कर दिया गया है। इसी प्रकार 1.33 LMT दालों का वितरण भी लाभुक परिवारों के बीच कर दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत योजना (Atmanirbhar Bharat)

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लगभग 8 करोड़ ऐसे प्रवासी/देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए मजदूर, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा राज्य की पीडीएस कार्ड स्कीम के तहत राशनकार्ड नहीं हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से भोजन की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा मई एवं जून, 2020 के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज एवं प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चना मुफ्त में आवंटित किया गया है। इस मद में आने वाली 3500 करोड़ रुपए की लागत को भी केन्द्र सरकार वहन कर रही है। इस मद में आज तक हमने राज्य सरकारों को 8 LMT अनाज और 39100 MT चना आवंटित कर उनसे जल्द से जल्द इसका उठाव करने का आग्रह किया है।

...2..

Office : Room No. 179, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 ☎ 011-23070637, 23070642, Fax : 011-23386098
Resi. : 12, Janpath, New Delhi-110 001 ☎ 011-23015249, 23017681

एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड (One Nation-One Ration Card)

देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकें, इसके लिए देश में वन नेशन-वन राशनकार्ड की सुविधा लागू की जा रही है। यह योजना अब तक आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है और आगामी जून, 2020 तक ओडिशा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के कुल 20 राज्यों में यह योजना कार्यान्वित हो जाएगी। इसी प्रकार 1 अगस्त, 2020 को उत्तराखण्ड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे तथा 31 मार्च, 2021 तक पूरे देश में यह योजना लागू हो जाएगी।

मेरा आपसे आग्रह है कि कोविड-19 महामारी के समय देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को पर्याप्त अनाज मिल सके तथा पात्र लाभार्थियों और प्रवासी मजदूरों को केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की पूरी जानकारी हो, इसके लिए आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए आपके सुझावों का मैं स्वागत करुंगा।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(राम विलास पासवान)

श्री थावर चंद गहलोत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

Gmail

Thawarchand Gehlot <officesjem@gmail.com>

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए किए गए प्रयास

1 message

Ramvilas Paswan <minfoodcapd@gmail.com>
To: officesjem@gmail.com

Sat, May 23, 2020 at 12:13 PM

PFA

With regards,

Sh Thawar Chand Gehlot Ji.pdf
1130K